

असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

H. 120]

दिल्ती, शुक्रवार, जुलाई 27, 2001/श्रावण 5, 1923

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. १६८

No. 120 J

DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2001/SRAVANA 5, 1923

[N.C.T.D. No. 168

भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, त्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिस्चनाएं

दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

मं फा. 14( 18 )/विधायी कार्य-2001/546.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिशांक 20 जुलाई, 2001 की मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्न अधिनियम जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली बिलामिता बस्तु कर अधिनियम, 2001

(दिल्ली अधिनियम संख्या : २, २००१)

ाण्डीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांग र अपेल. 2001 की यथा पारित)।

ारहरनी राष्ट्रोय राजधानी में कुछ बस्तुओं। पर विहतायता कर लगाने तथा संग्रह करने के। किए तथा अपने सम्बद्ध तथा इससे पासींगक मानार के लिए व्यवस्था हैस्

11.3.

अधिनगम

वह हिल्ली मण्डीस राजधानी की जिधान सभा द्वारा भारतीय गणतेष के बावनव वर्ष में तमन प्रकार आधानसमित विधा जाए : -

१ -- विभिन्न

### प्रारंभिक

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ (1) इस अधिनयन को दिनमी विलामित वस्तु प्रः पाँधीनगम, 2001 कत वाए।
  - (2) यह समृत्रे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में विस्तारित होता है।
  - (3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसुचना से सरकार हारा यथानिका तिथि की प्रभावी होगा।

1.1

2 COS DIG PORT

- 2. परिभाषाएं.—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तच तक इस अधिनियम में :-
  - (क) ''आयुक्त'' का अर्थ दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) की धारा 9 को उपधारा 1 के अन्तर्गत नियुक्त विक्री कर आयुक्त से हैं :
  - (ख) "दिल्लो" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से हैं :
  - (ग) ''दिल्ली बिक्री कर अधिनियम'' का अर्थ दिल्ली विक्री कर अधिनियम, 1975 (1975 का 43) से हैं :
  - (घ) ''सरकार'' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से हैं और इसमें उपराज्यपाल शामिल है ;
  - (ङ) ''उपराज्यपाल'' का अर्थ संविधान के अनुष्क्षेद 239कक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से हैं;
  - (च) ''विलासिता वस्तु'' का अर्थ सूची में यथाविनिर्दिष्ट वस्तुओं से हैं :
  - (छ) "व्यक्ति" में व्यक्तियों की कम्पनी या एसोसिएशन या निकाय शामिल हैं, चाहे निगमित हो या नहीं हो और इसमें कोई हिन्दू अविभाजित परिवार, कोई फर्म, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार भी शामिल हैं;
  - (ज) ''निर्धारित'' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से हैं :
  - (अ) ''अनुसूची'' का अर्थ इस अधिनियम के साथ संतरन अनुसूची में हैं ;
  - (ञ) ''स्टाकिस्ट'' का अर्थ कोई व्यक्ति प्रचलित व्यापार के दौरान जिसके पास उसके नियंत्रण करने में किलासिता को वस्तुओं का भंडार उसके द्वारा दिल्ली में विनिर्मित, बनायी या प्रक्रमण की गई या दिल्ली में उसके द्वारा लाई गर्या हो। दिल्ली में ग्रंमी विलासिता को वस्तुओं के भंडारण, विक्रय या पूर्ति या वितरण के लिये दिल्ली में याहर किसी स्थान पर उसके अपने खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में गर्या हो ;
  - (ट) ''चिलासिता की वस्तुओं का भंडारण'' स्टाकिस्ट के अपने स्टॉक में पड़ी विलासिता को बस्तुओं को मात्रा या स्टाकिस्ट के अभिलेख या खाते में दर्ज स्टॉक में पड़ी विलासिता वस्तुएं अथवा किसी वर्ष के दौरान भंडारण, किसी थोक विकंता विचौलिया, खुदरा विकेता या किसी अन्य व्यक्ति को बेंचने, वितरण या पूर्ति करने के लिये स्टाकिस्ट द्वारा प्राप्त को या उपलब्ध की गयी विलासिता की वस्तुओं की मात्रा ;
  - (ठ) ''कर'' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत विलासिता वस्तुओं पर देय कर में है -
  - (३) "विलासिता वस्तुओं के स्टॉक का कुल मृल्य" किसी स्टाकिस्ट के संबंध में किया वर्ण या इसके भाग में सम्बंद अर्थ विलागित वस्तुओं के स्टॉक के कुल मृल्य में हैं :
  - (३) विलासिता यस्तुओं के स्टॉक के मूल्य का अर्थ--
    - (i) विलासिता को कुछ वस्तुओं का किसी विनिर्माता का म्टाकिस्ट होने प्रविधो, इस प्रकार को विलासिता को चन्नुओं के प्राप्ति या अपने स्टॉक में दर्ज करते समय इनका मृत्य एक्स फैक्ट्रो मृत्य के आधार पर जात किया गया :
    - (ii) किसी अन्य स्टाकिस्ट के संबंध में इस प्रकार की बिलासिता वस्तुओं का मृल्य दिल्ली के भीतर या दिल्ली के जरण उठ व्यक्ति के बिल, इन्याइस या प्रेमण टीप या इस प्रकार के अन्य प्रलेख के आधार पर जात किया जाएगा, जिस व्यक्ति दें ऐसी बिलासिता की वस्तुएं प्राप्त की गयी हैं;
    - (iii) उपखण्ड (1) तथा (2) में वर्णित किसी स्टाकिस्ट के संबंध में विलामिता की वस्तुओं के स्टॉब के मृत्य में निष्ट शामिल होंगे :
      - (क) किसी विनिर्माता अथवा इन वस्तुओं के आयातक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी विलासिता वस्तुओं पर भुगतन किए गये या भुगतान योग्य उत्पादन शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क;
      - (ख) दिल्ली में स्टाकिस्ट के किसी परिसर, गोदाम, भंडार गृह या किमी अन्य स्थान पर ले जाने के लिये दुलाई उपार बीमा प्रभार, पैकिंग प्रभार, प्रेपण एवं हैंडलिंग प्रभार।

TT.

उपवन्थ हैं कि जहां पर खरीद इनवाइस या विल प्रस्तुत नहीं किया गया है या जहां पर प्रस्तुत इन्वाइस/बिल तर्क संगत आधार पर झूठ मान लिया गया है या यदि, विलासिता की वस्तुएं खरीदने के बजाय अधिगृहित या प्राप्त की गयी है वस्तुओं का मुल्य वह मूल्य होगा, जिन पर इस प्रकार या गुणवत्ता की विलासिता वस्तुएं बेची जाती हैं या खुली मार्किट में बेचने योग्य है:

- (ण) "वर्ष" का अर्थ अप्रैल माह के प्रथम दिन से प्रारंभ वर्ष से है।
- (2) इस अधिनियम में प्रयुक्त सभी शब्द तथा अभिव्यक्तियां, लेकिन इसमें परिभाषित नहीं है, लेकिन दिल्ली विक्री कर अधिनियम परिभाषित है, का वहीं अर्थ होगा, जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिया गया हैं।

### अध्याय 2

### कर का प्रभाव क्षेत्र तथा उगाही

- 3. कर का प्रभाव तथा उगाही.—(1) विलासिता की वस्तुओं के कुल भंडार पर इस संबंध में अधिसूचना से सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में नियत दर, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, पर कर लगाकर इकट्ठा किया जाएगा तथा विलासिता की वस्तुओं की भिन्न-भिन्न श्लेणियों की भिन्न-भिन्न दरें होंगी।
- (2) इस अधिनियम के अन्तर्गत उगाही योग्य कर किसी पंजीकृत स्टाकिस्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा या इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वय पंजीकृत कराने योग्य किसी स्टाकिस्ट द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (3) उपधारा (1) में कुछ भी रहते हुए लेकिन यथानिधीरित प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन, किसी भी प्रकार का कर विलासिता को वस्तुओं के भंडार के मूल्य पर उगाहा नहीं जाएगा :
  - (i) जो दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान को भिजवाया जाता है।
  - (ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन पर कर का भुगतान किया गया है।
- 4. प्रमाण का दायित्व. कर की उगाही तथा निर्धारण के प्रयोजनार्थ यह मान लिया जायेगा कि प्रत्येक पंजीकृत स्टाकिस्ट या इस अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं पंजीकृत योग्य प्रत्येक स्टाकिस्ट, जिसका व्यापार दिल्ली में स्थित है, वह विलासिता के समस्त स्टॉक के मृल्य पर कर अटा करने के लिए उत्तरदायी है जो उससे संबंधित है तथा यह सिद्ध करने का भार कि किसी भी विलासिता वस्तु का व्यापार कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, उस स्टॉकिस्ट पर रहेगा।
- 5. कर की छूट देने या कम करने के लिए सरकार की शक्ति. सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथाविनिर्दिण्य शर्तों और पातवंधों के अनुसार विलासिता वस्तुओं या स्टाकिस्टों की किसी भी श्रेणी के संबंध में इस अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य कर की छूट दे सकती है या कम कर सकती है।

### अध्याय--- ३

# पंजीकरण, विवरणी, कर का भुगतान तथा लेखों का रख-रखाव

6. व्यापारियों का पंजीकरण. — (1) इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक स्टाकिस्ट उस तरीके से तथा उम अर्थाध में जो भी निर्धारित हो, इस अधिनियम के अधीन स्वयं को पंजीकृत कराएगा :

उपबंध है कि वह स्टाकिस्ट जो पहले से ही दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत है यथानिधारित सूचना प्रस्तृत करने पर उस उसी तरह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत समझा जाएगा।

- 7. विवरणी, कर और ब्याज का भुगतान.—(1) इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत प्रत्येक स्टाकिस्ट तथा प्रत्येक अन्य स्टाकिस्ट जिससे अनुबत द्वारा उससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है, निर्धारित तरीके से तामील की गई सूचना द्वारा उस तारीख तक तथा ऐसे प्राधिकारी को स्टांट की (जो निर्धारित हो) विक्रों की विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा यथानिर्धारित तरीके और रूप में विलंगित भुगतानों पर प्राप्त देय कर और व्याज का भुगतान करेगा।
- (2) प्रत्येक पंजीकृत स्टाकिस्ट तथा उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अपेक्षित प्रत्येक स्टाकिस्ट सरकारी खजाने या रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया में या थथानिथीरित किसी अन्य तरीके से इस अधिनियम के अधीन उससे देय कर की पूरी राशि जो ऐसी विवरणी के अनुसार हो, जमा कराएगा तथा जहां ऐसा नूगतान सरकारी खजाने या रिजर्ब बेंक ऑफ इंडिया में जमा की गई हैं. विवरणों महित ऐसे खजाने या बैंक से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी राशि का भुगतान दर्शाया गया हो।
- (3) देय कर के अतिवित ब्याज दो प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से भुगतान योग्य होगा यदि उपधारा (1) के अधीन अपनी विवरिणयीं सिंहत देय कर या भुगतान योग्य कर अदा करने में असमर्थ रहता है तथा जहां स्टाकिस्ट चूककर्ता है या ऐसी गलतों को तारीख से इस अधिनियम के अधीन निर्धारित या पुन: निर्धारित कर का भुगतान करने में गलतीं करने वाला समझा गया है।

- (4) उप धारा 3 में यथा उपयंधित दर पर ब्याज उस अवधि के लिए भुगतान योग्य होगा जो किया व्यायालय या प्राधिकारों के आदेश द्वारा कर को राशि की वसुली रोकी जाएगों तथा ऐसा आदेश यह में रह प्रमझा जाएगा।
- (5) इस धारा के अधीन भुगतान योग्य व्याज इस अधिनियम के अधीन देव कर समझा जाएगा।
- 8. कर निर्धारण, --(1) जहां वर्ष के लिए देय सभी विवरणियां प्रस्तुत की जा चुको हैं तथा निर्धारित अवधि में प्रदत्त ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर, उस वर्ष के संबंध में स्टाकिस्ट का कर-निर्धारित समझा जाएगा तथा आयुक्त एक वर्ष को अर्वाध में स्टाकिस्ट की उपस्थित की अपेक्षा के विना संक्षिप्त कर निर्धारित करेगा, जो उस वर्ष से होगा जिससे विवरणियां संबंधित है तथा संक्षिप्त कर निर्धारण करते समय, आयुक्त को अंक गणितीय समारोजन करने का प्राधिकार होगा जैसा कि कर के विलंखित भुगतान के लिए उस हो सकता है।
- (2) उपधारा (1) में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए चाहं विवस्णी प्रस्तुत की गई हो या नहों को गई हो तथा निधारित अवधि में ऐसी विवसणी के अनुसार देय कर भुगतान किया गया हो, आयुवत, यदि प्रस्तुत विवसणी से संतुष्ट नहीं है या यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि स्टाकिस्ट ने ऐसी विलासिता ग्टॉक की विक्री कप चताई है, उस पर मूचना की तामील करेगा जिसमें उससे विनिर्दिप्ट तारीख को कार्यालय में उपिथत होने तथा माध्य प्रस्तुत करने या करवाने को अपेक्षा करेगा जिसमें म्हाकिस्ट अपनी विवस्णी के समर्थन में निर्भर हो सकता है तथा उसके संबंध में आयुक्त को संतुष्ट करेगा:
  - उपर्यथ है कि इस उपधार के अधीन उस वर्ष जिससे विवर्णों संबंधित हैं, को समाप्ति से दो वर्षों को अवधि को समाप्ति के प्रत्यात स्टाकिस्ट पर स्वता की तामील नहीं को जाएगी।
- (3) सुचना में विनिर्दिष्ट तारीख़ को या प्रथामंभव उसके परचात् आयुक्त मधी माक्ष्यों पर विचार करने के प्रश्नात् प्रस्पृत जो किए जा सकते हैं, स्टाकिस्ट में देय कर की राशि का निर्धारण करेगा।
- (4) यदि कोई स्टाकिस्ट उपधारा (2) के अधीन जारी किया प्रचन को शर्ती का प्रान्त करने में असमर्थ हैं, तो आयुक्त उममें देव कर को राशि का सही निर्णय से कर निर्धारण करेगा।
- (5) जहां उपधार (1) से उपधार (4) के अधीन किसी कर निर्धारण का निर्धारित समय में निर्णय नहीं होता ने! चिलामिला चम्बुओं के भंडार की बिक्री की स्टाकिस्ट द्वारा अपनी विवरणों में घोषित किया गया है. इसे उक्त विवरणों के आधार पर निर्धारित पुनःनिर्धारण, कर का भुगतान और वस्लों, अपील और समीक्षा में संयधित उस अधिनियम के इच्छंच वयासंभव चरित्रतंनों पहिल उस प्रकार समझे गए कर निर्धारण पर लागू होंगे।
- (६) यदि उस सूचना पर जो उसके करते में आ गई है, आयुवत इस बात में मंतुष्ट है कि कोई भ्यांकरट किसी भी अविधि के सर्वध में इस अधिनियम के अधीन कर अदा करने के लिए उत्तरहागों है तथा पण है के अधीन उसके स्वयं को पंजीकृत नहीं। कराया है के आयुवत अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर-निर्धारण करने के लिए स्थानिर्धारित तरीके से स्थाकरण के तथा कर को गाँग को अगो भेजेगा जो उस अवधि तथा सभी परवर्ती अवधियों में सर्वोधित होगा तथा ऐसा करिवधीरण करने समय स्थावित्रण की मृतवाह का उचित अवस्य देगा तथा। आयुवत यदि इस बात से संतुष्ट है कि पलातों बिना किसी कारण की गई यो तो निर्देश हेगा कि पर्धाकरट अर्थदंड के रूप में इस प्रकार निर्धारित कर की गाँग के साथ गाय उस गाँण का भी भृगतान करण जो उस गाँग के तुष्ट में अधिक नहीं होगी।
- (7) उपधार (6) के उपयंभ के अधीन कोई कर निर्धारण उस घर्ग की सप्तांत्र से छ। वर्ष की समाप्ति के प्रवाद जिसके संबंध में व्य जिसके भाग में कर निर्धारण किया गया हो, नहीं किया जाएगा।
- 9. पुन: कर-निर्धारण.--(1) जहां धारा 8 के अधीन किसी वर्ष वा उसके किसी भाग के लिए स्टाकिस्ट के कर निर्धारण के घरना आयुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी अवधि के संबंध में किसी स्टाकिस्ट की कुछ विक्री या उसका केट सम कर निर्धारण से बन गया है या कम निर्धारण किया गया है, वा कर सौस्य दर से कम दर ने इसका कर विशारण किया तथा है तो आयुक्त
  - ाः) कर निर्धारण के अंतिम आदेश हो तारीख में ६ वर्षी के अंदर, उस अपने में म्यांकरर ने विक्रो लिश्त के उसके विकास मिटाए हैं या पूर्ण रूप में प्रस्तुत करने में असफल रहा है; तथा
  - (ख) कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से 5 वर्षों के अन्दर किसी अन्य पामले में: म्टाकिस्टों पर सुचन तामील काता है तथा उसे सुनवाई का डिचित अवसर देने के परचात् तथा जैसा यह आवश्यक समझें जोच करने के परचात् अपने निर्णय के अनुसार एमी विद्या के संबंध में स्टाकिस्ट से देय कर की राशि को आगे भैजेगा तथा इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार यथासंभव इस पर चागु होंग।

आंदेश

एणी व.

स्ट की

प्त कर

म दिनए

अवाध

। करमा

: करेगा

जिसमें

- (2) निम्नलिखित के पश्चात् कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण या पुनः गणना का कोई भी आदेश उपधारा (1) के अधीन नहीं किया जाएगा—
  - (क) छ: वर्षों की समाप्ति या जैसी भी स्थिति हो कर निर्धारण के अंतिम आदेश की तारीख से चार वर्षों की समाप्ति जैसा कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, या
  - (ख) उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति जो भी बाद में हो।
- 10. त्तेखे.— प्रत्येक पंजीकृत स्टाकिस्ट या प्रत्येक स्टाकिस्ट जो इस अधिनियम के अधीन स्थय को पंजीकृत करने के लिए उत्तरदायों न्टाकिस्ट अपने व्यापार स्थल में अपने व्यापार से संबंधित लेखों का यथा-निर्धारित तरीके से रख-रखाव करेगा।

#### अध्याय-4

# प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी, जब्ती, सील करना तथा कर चोरी के अन्य उपबंध

- 11. लेखा तथा वस्तुओं का निरीक्षण, तलाशी तथा जब्त करना.—दिल्ली विक्री कर अधिनियम तथा उसके अन्तरात निरीक्षण, तलाशी तथा जब्ती के नियम यथावत् रूप में इस अधिनियम पर भी लागू होंगे।
  - 12. अधिनियम के अन्तर्गत अपराध तथा अर्थदंड.—( ) । जहां कोई व्यक्ति--
    - (क) इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति स्वयं को पंजीकृत नहीं भरवाता है, या
    - (ख) विवरण भरने के लिए उत्तरदायों व्यक्ति विवरणिका नहीं भेजता है या उसमें व्याज सहित तिश्चित की गई राशि की विवरणिका के अनुसार जमा नहीं करवाता है, यदि कोई अपने व्यापार के संबंध में जान बूझकर झूंढे लेखा-पुरतके, रिजस्टर, दस्तावेज या झूंढे विवरण तैयार करता है या जिस कथन को अभिलेखाबद्ध किया जाना था ऐस नहीं करता है या इस अधिनियम या उसकी नियमावली के अधीन अभेक्ति कोई घोषणा नहीं करता है.
    - ्ग) इरादतन कर में यचता है या छुपाता है या जानबृज़कर अपनी चिकी या कर द्रायित्व को किसी रूप में छुपाता है;
    - ्च) आनव्दुब्बर मांग नोटिस की अवसानना करता है या किसी मांग नोटिस में उन्निनखित ग्रांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तथा उसके द्वारा मांग नोटिस प्राप्त होने पर छ: महीने का समय ग्रीत जाता है ;
    - ( 🐑) अधिनियम की धारा 10 के अधीन बताए रूप में अपनी लेखा प्रस्तकों को तैयार नहीं करना है :
    - ( च ) उपरोक्त विजयो अपराध में किसी व्यक्ति को यहायता या प्रोत्साहन देता है :
    - इ.स. छः, महीने तक्ष का साधारण काराबास या बीस हजार रूपये तका जुमाना या दोनी ही सकते हैं।
    - स्पर्धाकरणा. इस उपधारा के खंड (घ) के अधीन किसी अपराध में अन्तिम भूगतान किसे आने तक निरनर अपराध माना जाएगा।
  - अहा इस भाग के अधीत ब्यापार के संबंध में बोई अपराध किया जाता है तो अपराध किए जाने की अवधि में तो व्यक्ति व्यापार मंबालन के लिए उत्तरहाओं हो या अपने बार्च या गलतों के द्वारा किसी रूप में बातुनी ट्राय्यन पूरा न बारने के लिए जबाब देह या तो उम पर इस बार के अधीन कार्चबाहों करके होड़ दिया जायेगा।
  - (3) राष्यास (2) में वि.मी भी उपवेश पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना जहां इस बास के अरोट अपसाय करने वाली कोई फर्म थे। केफ्सी है तथा पाया जाना है कि अपसाथ फर्म के हिस्सेदार, या अध्यक्ष, प्रबंध निर्देशक, केपनी निर्देशक, को महमात, मिलीभगत म किया गया था था लापस्वाही का उत्तरहायित्व उस पर आता है तो ऐसा भागीदार, अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक, निर्देशक पर व्यक्तिगत रूप में कायवाही की जायेगी तथा वह इस धास के अधीन दंडनीय होगा।
  - (4) इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यजाही जिसमें कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, शुद्धिकाण या समुली की कार्यचाही है जिसमें जुमांना लगाने की कार्यचाहा शामिल नहीं है जी इस धारा के अधीन किसी भी कार्यचाही पर काई विपरीत असर नहीं पर्देश। और कर चलती रहेगी।
  - (5) यांद बाई व्यापास किंग राचित जारण के बिना इस अधिनिया के किसी उपबंध या नियमों का प्राचन करने में असफल रहता है तो उस पर उल्लंघन किए जाने या उचित कार्यवादी ने करने के लिए अधेदंड लगाया जा सकता है जो पांच हजार रुपये या वस्तुओं व. पुरुष वा 15% से अधिक, इनमें जो भी कम हों, नहीं होगा। जहां यह उल्लंघन या असफलता जारी रहती है तो यह जुमांना उल्लंघन या असफलता जारी रहने के प्रति एक दिन के लिए पांच भी स्पर्य तक हो सकता है :

उपबंध है वि: जमाना लगाने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

पश्चात

हप् जा

रच कर

म्स्तुओं धारित, महित

चंध में

ा है तो एंग की

पुनवाई गा विर

ह दुगुल

(में या

श्चात् स्थारण

यसम्ब

ै तथा विक्री

1711

- (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में उपरोक्त के विपरीत कुछ भी रहते हुए उपधारा (1) में परिभाषित समस्त अपराध
- (7) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनी नियमावली में दंडनीय कोई भी अपराध का संज्ञान नहीं करेगी सिवाय आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के, तथा मेट्रोपोलिटन मिनस्ट्रेट से न्यून कोई न्यायालय इस अपराध में मुकदमा नहीं चलाएगी।

### अध्याय-5

# दिल्ली बिकी कर अधिनियम के उपबंधों का लागू होना

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975 के अधीन अधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण, पुन: निर्धारण आदि का अधिकार. — इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाई नियमावलों के अधीन रहते हुए दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अधीन इस समय कर निर्धारण, पुन: निर्धारण, संग्रहण, ब्याज तथा जुर्माने के भुगतान को लागू करने संबंधी शक्तियां रखने वाले अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत उसी प्रकार कर निर्धारण, पुनः निर्धारण, संग्रहण तथा भुगतान का प्रवर्तन जिसमें व्यापारी द्वारा कोई ब्याज या अर्थदंड शामिल है कर सकता हैं जैसे कि दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के अधीन देय है इस उद्देश्य के लिए दिल्ली बिक्री कर अधिनियम तथा उसके नियमों के अधीन जि.मी या मधी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के उपबंध तथा नियमावली जो विवरण, कर निर्धारण, नोटिस, शृद्धिकाण, संग्रहण, पंजीकारण, किसी हिंदू संयुक्त परिवार की परिवार के विभाजन या फर्म के भंग होने पर कर भुगतान के दायित्व, कर वसूली की चिशंच पदिति, अपोल, संशोधन, संदर्भ, धन वापसी, जुर्माना, अर्थदंड, ब्याज प्रभारित करना या भुगतान तथा व्यापारी द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को गापनांच रूप में संपालना. बिकी छुपाने के लिए पुनः कर निर्धारण, कर की बसूली, लेखों का रखरखाब, निरीक्षरण तलाशी तथा जब्बी, प्रतिनिधि रूप में शायित्व, दिल्लों के उच्च न्यायालय में मामले का संदर्भ, अपराधों का शमन तथा विविध प्रकार के अन्य मामलों पर तदूप में ही लागू होंगे।

व्याख्या. — दिल्ली बिक्री कर अधिनियम के सभी प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही संबंध में जहां तक इस अधिनियम के उपर्यं के विरोध में न हो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर यथावत रूप में लागू होंगे।

# अध्याय-6

# विविध एवं नियमावली

- 14. इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाए, इस अधिनियम के अधीन ंनयुक्त यभा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की भारा 21 के अर्थ में लोक सेयक माना जायेगा।
- दीयानी अदालतों में वादों पर प्रतिबंध.—कोई वाद इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के अंतर्गत पारित कियों कराकन आहेश या कोई अन्य आदेश रद करने या आशोधन करने के लिए किसी दीवनों अदालत में नहीं लाया जाएगा और कोई अभियोग, बाद या अन्य कार्यवाही इस अधिनियम के अंतर्गत या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सद्भावना से कुछ किया गया या किए जाने वाला, सरकार
- आयुक्त की शक्तियों का प्रत्यायोजन, निर्धारित की गई प्रतिवर्धों तथा शर्तों के अधीन आयुक्त लिखित आदेश के अधीन अपनी किसी शक्ति, प्रकार्य तथा कर्त्तेष्य का इस अधिनियम के सिवाय धारा 12 की अनुसूची (7) के तथा यह अधिकारी किसी भी अधिकारी की जो महत्यक चिक्रीकर अधिकारी के पद का हो, दिये जा सकते हैं।
- अनुसूची संशोधन की शक्ति, सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना दारा अनुसूची में जोड़ सकती है, हटा सकती है या अन्यथा अनुमुन्तां में मंशोधन जैसा आवश्यक समझे तदनुसार अनुसून्ती संशोधित कर सकती है।
- निग्रम बनाने की शिक्ति. —(†) इस अधिनियम के उद्देश्यों की पृति के लिए सरकार, सरकारों राजपत्र में अधिसृचना द्वारा नियम यना सकता

उपबंध है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि विधमान परिस्थितियां जो कि तुरन्त कार्यवाही चाहती हैं तो इस थारा के अंतर्गत बनाए गए किया नियम के पूर्व प्रकाशन को अलग कर सकती है।

- (2) विश्लोपतः पूर्वोक्त शक्ति पर मामान्य प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—
  - (क) इस अधिनियम द्वारा विनिधारित करने के लिए तुरन्त अपेक्षित वा अनुमत सभी मामले:
  - (छ) स्टाकिस्ट के पंजीकरण के लिए प्रकिया;
  - (ग) रिटर्न को जमा करने और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने तथा व्यवित को मौज़दगों को प्रवर्तन करने तथा उसकी शपथ को जांच

( घ ) इस अधिनियम के अन्तर्गत सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा कार्यवाही में अपनाए जाने वाले मानकों का बिनियमन करनाः

- (ङ) कोई अन्य मामला जिसमें शुल्क की उगाही शामिल है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है या इस अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान न हो तथा जिसके लिए इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के मत में प्रावधान आवश्यक हो;
- (3) किन्हीं नियमों को बनाने में सरकार निदेश दे सकती है कि इसके भंग होने पर विनिर्धारित प्राधिकरण विनिर्धारित तरीके से अर्थदंड लगा सकती है जो कि पच्चीस हजार से अधिक न हो, तथा जब इस तरह का भंग जारी रहता है तो ऐसे भंग जारी रहने के दौरान चुक के प्रत्येक दिन के लिए अर्थदंड (पैनल्टी) लगाया जा सकता है जो कि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
- (4) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम के बनने के बाद इसे यथाशीघ्र दिल्ली विधान सभा के समक्ष कुल तीस दिन के सज काल में रखा जाएगा। उबत अबधि एक सज की है या दो सजों की हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सजों को मिलाबर हो और यदि आगामी सज या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सजों से तुरत्त पहले सज समाप्त होने से पहले सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए विधानसभा सहमत है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, इसके बाद नियम केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसा संशोधन या निष्यभावन उबत नियम के अंतर्गत पहले बिए गए की वैधता पर प्रतिकृत प्रभाव से रहित होगा।
- 19. कटिनाई दूर करने की शक्ति.—(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, सरकारी राजपत्र में, समय की मांग के अनुसार ऐसे आदेश द्वारा जो कि इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के असंगत न हो, कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से जो आवश्यक समझे, कर सकती है;

उपबंध है कि इस अधिनियम के प्रर्वत होने के दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् ऐसे कोई भी आदेश पारित नहीं किये जायेंगे।

(2) इस धारा के अधीन जारी किये गये आदेश जारी होने के तुरन्त पश्चात् दिल्ली विधानसभा के समाने रखें आएंगे।

### अनुसूची

िधारा ७ तथा धारा १७ को उपधारा (१) की खंड (च) तथा (अ) देखें।

来.科

वस्त का नाम

- 1. सिगरेट
- पान मसाला सुगंधित या अन्यथा रूप में किसी अग्य विवरण।
- पाइप तथा सिगरेट के लिए धुम्रपान मिक्सचर।
- तम्बाकृ तथा तम्बाकृ उत्पाद (बीड़ी को छोड़कर) जो इस अनुसूची में विनिर्दिए नहीं ग्रामीण परंपरागत धृमपान गाधनों में प्रयुक्त सभी तम्बाकृ पदार्थों को कर से छूट प्राप्त होगी।
- 5. टेक्सटाइल तथा फैब्रियस (खादी छोड्कर) उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। 🔍
- 6 1300 सीसी से अधिक क्षमता वाले मोटर वाहन एवम सनी वाहन।
- णिहमां, उस मृत्य से आधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- इ. होम धियेटसं ।
- सभी विलासिता टैलीविजन।
- 10. फाइंटेन पेन, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- 11. फनीचर, उस मुख्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छुट प्राप्त है।
- 12 रिडिपेड गारमेंटम, उम मुल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतगर्त छूट प्राप्त है।
- 13. ब्रिस्टल वस्तुएं, उस मुल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- ाव. परपयुम्स उस मुल्य से अधिव जिस तक थाग 5 वे अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- 15 एथरकं डाशनसं।
- 16. इंडियन मेह फॉरन लिकर।
- 17 कीरमेटिक्स, टॉयलेट बस्तुएं जिसमें हेयर डाई, तेल, साबुन और शैम्पू शामिल हैं, उस मृत्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत व्हट प्राप्त है।
- म्यूजिक सिरुटम, उस मृल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- 19 वाधरूम फिटिंग्स और सेरेमिक टाइल्स, उस मुल्य से अधिक जिस तक घारा 5 के अंतर्गत छट प्राप्त है।

and the commence of the control of t

- 20. ऑटोमोबाइल एसेसरीज, उस मूल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- 21. रेफ्रीजरेटर, रवचालित वाशिंग मशीन, उस मुल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- 22. दवाइयों को छोड़कर डब्ल्यू टी ओ सूची के अंतर्गत आयातित सभी वस्तुएँ।
- 23. आयवरी वस्तुएं, उस मृल्य से अधिक जिस तक धारा 5 के अंतर्गत छूट प्राप्त है।
- 24. रक्षा, अर्द भैनिक एवम् पुलिस बल के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले को छोड़कर, सभी आर्मस, एम्युनिशन्स और एसेसरीज।

# DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

Delhi, the 27th July, 2001

No. F.14 (18)/LA-2001/546.—The following Act of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lieutenant Governor, Delhi on the 20th July, 2001 and is hereby published for general information.—

# THE DELHI LUXURIES TAX ON COMMODITIES ACT, 2001

(Delhi Act No. 9 of 2001)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 9th April, 2001).

#### ANACT

to provide for the imposition and collection of luxuries tax on certain commodities and for matters, connected therewith and incidental thereto in the National Capital Territory of Delhi

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-second Year of the Republic of India as Follows:—

## CHAPTER-I PRELIMINARY

- 1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Luxuries Tax on Commodities Act, 2001.
  - (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi
- (i) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint.
  - 2. Definitions -- (1) In this Act, unless the context otherwise requires. -
- (a) "Commissioner" means the Commissioner of sales tax appointed under sub-section (1) of section 9 of the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975):
  - the "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi.
  - (c) "Delhi Sales Tax Act" means the Delhi Sales Tax Act, 1975 (43 of 1975)
- (d) Government' means the Government of the National Capital Territory of Delhi, and includes 1-feutenam Covernor.
- (e) "Lieutenant" Governor means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239AA of the Constitution;
  - (f) "luxuries" means the commodities as specified in the Schedule.
- (g) "person" includes any company or association or body of individuals, whether incorporated or not, a Hinduundivided family, a firm, a local authority, the Central Government, the Government of any State or Union territory.
  - (h) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act.
  - (i) "Schedule" means the Schedule appended to this Act.
- (j) "stockist" means a person who has, in customary course of business, in his possession of, or control over a stock of histories, whether the infactured, made or processed by him in Delhi, or brong'n by him into Delhi, either on bown account or on account of others, from any place outside Delhi, for stocking, wending, supplying or distributing such luxuries in Delhi.
- (k) "Stock of hixmries" means the quantity of hixmries being the own stock of the stockist or stocks entered in the records or accounts of the stockist or the quantity of hixmries the stockist receives or procures, during any year. For stocking, vending, distributing or supplying to a wholesaler, intermediary, retailer or any person.
  - (1) "tax" means the tax on luxuries payable under this Act;

- (iii) "turnover of stock of luxuries" in relation to a stockist, in respect of any year or part thereof, means the aggregate of the values of stock of luxuries;
  - (n) "value of stock of luxuries" means,---
- (i) in respect of a stockist, being a manufacturer of any of the fuxuries, the value of such luxuries calculated at the ex-factory price at the time of receipt or entry thereof in his stock;
- (ii) in respect of any other stockist, the value of such luxuries calculated at the price thereof as per—the—bill, invoice—or consignment note or other document of like nature, of any person within Delhi or outside Delhi, from whom such luxuries are received;
  - (iii) in respect of any stockist mentioned in sub-clauses (i) and (ii), the value of stock of luxuries shall include .--
- (A) excise duty, countervailing duty paid or payable on such Tuxuries by a manufacturer or importer thereof, as the case may be:
- (B) transport charges, insurance charges, packing charges, forwarding and handling charges, if any, for carrying such luxuries to any premises, godown, warehouse or any other place of the stockist in Delhi:

Provided that where the purchase invoice or bill is not produced or when the invoice or bill produced is reasonably believed to be false or if, the luxuries are acquired or obtained otherwise than by way of purchase, the value of goods shall be the value at which the luxuries of like kind or quality are sold or are capable of being sold in the open market.

- to) 'Year' means the year commencing on the first day of April
- (2) All words and expressions used in this Act, but not defined herein but defined in the Delhi Sales Tax Act shall have the meanings assigned to them in that Act.

#### CHAPTER-II

### INCIDENCE AND LEVY OF TAX

- 3. Incidence and levy of tax.—(1) There shall be levied and collected a tax on the turnover of stock of luxuries at such rate, not exceeding fifty per centum, as the Government may, by notification in the official Gazette, fix in this behalf and different rates may be fixed for different class or classes of luxuries.
- (2) The tax leviable under this Act shall be paid by registered stockist or a stockist hable to get himself registered under this Act
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), but subject to the production of proof as may be prescribed, no tax shall be leviable on the value of stock of luxuries.
  - (i) which are dispatched to any place outside Delhi;
  - (ii) on which tax under this Act has been paid.
- 4. Burden of proof.—For the purpose of levy and assessment of tax, it shall be presumed that every registered stockist or every stockist liable to get himself registered under this Act whose place of business is situate within Delhi is hable to pay tax on the value of all the stock of luxuries as are dealt with by him and the burden of proving that any transaction of such stockist in any of the huxuries is not liable to tax shall lie on such stockist.
- Power of Government to exempt or reduce tax.—The Government may, by notification in the official Gazette, subject to such conditions and restrictions as it may specify, exempt or reduce the tax payable under this Act in respect of any class of fuxuries or stockists.

#### CHAPTER-III

# REGISTRATION, RETURNS, PAYMENT OF TAX AND MAINTENANCE OF ACCOUNTS

6. Registration of Dealers. — (1) Every stockist liable to pay tax under this Act shall get himself registered under this Act, in such manner and within such period as may be prescribed:

Provided that the stockist who are already registered under the Delhi Sales Tax Act, on furnishing such information as may be prescribed, shall be deemed to be registered under this Act as well.

マ338회:12001-コ

7. Returns, payment of tax and interest.—. (1) Every stockist registered under this Act and every other stockist, who may be required so to do by the Commissioner by notice served in the prescribed manner, shall furnish such delayed payments in the manner and in the form as may be prescribed.

and the second s

- (2) Every registered stockist and every stockist required to furnish returns under sub-section (1) shall pay into the Government treasury or the Reserve Bank of India or in such other manner as may be prescribed, the full amount of treasury or the Reserve Bank of India, furnish, along with the returns, a receipt from such treasury or the bank, showing the payment of such amount.
- (3) The interest, in addition to the tax due, shall be payable at two per cent per month if the stockist fails to pay the tax due or payable, along with his returns under sub-section (1) and where the stockist defaults or is deemed to be in default in making the payment of tax assessed or re-assessed under this Act, from the date of such default.
- (4) Interest at the rate as provided in sub-section (3) shall also be payable for the period during which the realization of any amount of tax remains stayed by the order of any court or authority and such order is subsequently vacated
  - (5) The interest payable under this section shall be deemed to be tax due under this Act.
- 8. Assessment.—(1) Where all the returns due for the year have been furnished and tax due according to such returns paid within the prescribed period, the stockist shall be deemed to have been assessed in respect of the year and the Commissioner shall make a summary assessment without requiring the presence of the stockist within a period of one year from the end of the year to which the returns pertain and in making such a summary assessment the Commissioner shall have the authority to make arithmetical adjustments as well as interest that might be due for belated payment of the
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), whether or not a return has been furnished and the tax due according to such return paid within the period prescribed, the Commissioner, if he is not satisfied with the return filed or considers it necessary or expedient to ensure that the stockist has not understated his turnover of stock of huxuries, shall serve the stockist a notice requiring him, on a date to be specified therein to attend his office and to produce or cause to be produced there any evidence on which the stockist may rely in support of the return and to satisfy the Commissioner in regard there to:

Provided that no notice under this sub-section shall be served on the stockist after the expiry of two years from the end of the year to which the return pertains,

- (3) On the date specified in the notice, or as soon as may be thereafter, the Commissioner shall, after considering all the evidence which may be produced, assess the amount of tax due from the stockist
- (4) If a stockist fails to comply with the terms of any notice issued under sub-section (2), the Commissioner shall assess to the best of his judgment the amount of tax due from him.
- (5) Where an assessment under sub-section (1) to sub-section (4) is not concluded within the time, if any, specified therein, the turnover of stock of luxuries, declared by the stockist in his return, shall be deemed to have been assessed on the basis of the said return and the provisions of this Act relating to assessment, re-assessment, payment and recovery of tax, appeal and revision shall *mutatis mutandis* apply to such deemed assessment.
- (6) If upon information which has come into his possession, the Commissioner is satisfied that any stockist who is liable to pay tax under this Act in respect of any period, has failed to get himself registered under section 6, the Commissioner shall proceed in such manner as may be prescribed to assess to the best of his judgment the amount of tax due from the stockist in respect of such period and all subsequent periods and in making such assessment shall give the stockist a reasonable opportunity of being heard, and the Commissioner may, if he is a fusfied that the default was raide without reasonable cause. Airect that the stockist shall pay by way of penalty, in addition to the amount of the tax so assessed, a sum not exceeding twice that amount.
- (7) No assessment under the provision of sub-section (6) shall be made after the expiry of six years from the end of the year in respect of which or part of which the tax is assessed.
- 9. Re-assessment,—(1) Where after a stockist has been assessed under section 8 for any year or part thereof, the Commissioner has reason to believe that the whole or any part of the furnover of a stockist in respect of any period has

V € escaped

escaped assessment to tax or has been under-assessed or has been assessed at a lower rate than the rate at which it is assessable, the Commissioner may—

- (a) within six years from the date of final order of assessment, in a case where the stockist has concealed, omitted or failed to disclose fully the particulars of such turnover, and
- (b) within four years from the date of the final order of assessment, in any other case, serve a notice on the stockist and after giving the stockist an opportunity of being heard and making such inquiry as he considers necessary, proceed to determine to the best of his judgment, the amount of tax due from the stockist in respect of such turnover, and the provisions of this Act shall, so far as may be, apply accordingly.
- (2) No order of assessment, reassessment or recomputation shall be made under sub-section (1), after--
- (a) the expiry of six years or, as the case may be, four years from the date of final order of assessment as specified in sub-section (1); or
- (b) the expiry of one year from the date of service of notice under sub-section(1), whichever is later.
- 10. Accounts.—Every registered stockist or every stockist liable to get himself registered under this Act shall maintain and keep at his place of business, a true account relating to his business in such manner and form as may be prescribed.

#### CHAPTER-IV

# ENTRY, INSPECTION, SEARCH, SEIZURE, SEALING AND ANTI-EVASION PROVISIONS

- 11. Inspection, search and seizure of accounts and goods.—The provisions of the Delhi Sales Tax Act, and the rules framed thereunder regarding inspection, search and seizure shall *mutatis mutandis* apply to this Act.
  - 12. Offences and penalties .- (1) Where any person-
  - (a) liable to be registered under this Act fails to register himself,
  - (b) Inable to file the return, fails to file return or pay the tax due according to such return with in the time stipulated together with interest accrued thereon, if any, or knowingly prepares or produces false accounts, registers or documents or furnishes false return in relation to his business or makes a false disclosure or avenuent in any statement required to be recorded or in any declaration required to be filed under this Act or the rules framed thereunder;
  - (c) intentionally avoids or evades or conceals tax or deliberately conceals his turnover or tax hability in any manner.
  - (d) deliberately disregards a notice of demand or fails to pay the amount in terms of any notice of demand and a period of six months has lapsed since the receipt of the notice of demand by him.
  - (c) fails to maintain accounts in the manner as required under section (0 of this Acr.
  - (f) aids or abets any person in the commission of any such offence as aforesaid.
    he shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees or with both.
    - Explanation.—An offence under clause(d) of this sub-section shall be deemed to be a continuing offence until full payment is made
- (2) Where an offence under this section is committed with regard to a business, every person, who was responsible for the conduct of the business at the time when the offence was committed or who was answerable for a legal lapse in any manner by his action or omission, shall be liable to be proceeded against and punished under this section.
- (3) Without prejudice to the provisions contained in sub-section (2), where an offence under this section is committed by a firm or a company and it is found that the offence has been committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any partner of the firm or Chairman, Managing Director or Director of the company, such partner, Chairman, Managing Director or Director shall be personally liable to be proceeded against and punished under this section.

the one

uch

lon

101

ient

ing

pay

CIB

nuly

the f

turn

nuse

tom

ring:

anry,

been t and

who

I lax e the

IN SO

e end

reof, d has

pri pri

hr.

117

1112

CIT

Cit

- (4) Any proceeding under this Act including the proceeding of assessment, reassessment, rectification or recovery other than the proceeding for imposition of penalty, shall be carried on without prejudice to any prosecution under this section.
- (5) If a dealer fails without reasonable cause to comply with any of the provisions of this Act or the rules framed thereunder, shall, if no other penalty is provided under this Act for such contravention or failure, be liable to imposition of penalty, not less than five thousand rupees and not exceeding fifteen per cent of the value of goods, whichever is less, and where such contravention or failure is continuing one, to a further penalty not exceeding five hundred rupees for each day of default during the period of the continuance of the contravention or failure:

Provided that no such penalty shall be imposed without affording the dealer an opportunity of being heard

- (6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), all offences defined in sub-section (1) shall be cognizable and bailable.
- (7) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules framed thereunder, except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any such offence.

#### CHAPTER V

#### CERTAIN PROVISIONS OF THE DELHI SALES TAX ACT APPLICABLE

Subject to the other provisions of this Act and the rules framed thereunder, the authorities for the time being empowered to assess, re-assess, collect and enforce payment of any tax, interest and penalty under the Delhi Sales Tax Act, shall assess, reassess, collect and enforce payment of tax, including any interest or penalty payable by a dealer under this Act as if the tax or interest or penalty payable by such a dealer under this Act is a tax, interest or penalty payable under the Delhi Sales Tax Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers they have under the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder and the provisions of the Delhi Sales Tax Act and the rules framed thereunder relating to returns, assessment, notice, rectification, collection, registration, liability of any firm or Hindu undivided family to pay tax in the event of the dissolution of such firm or partition of such family special mode of recovery of tax, appeals, revision, references, refunds, fines, penalties, charging or payment of interest, and the treatment of documents furnished by a dealer as confidential, re-assessment of escaped turnover, recovery of tax, maintenance of accounts, inspection, search and seizure, liability in representative character, references of cases to the High Court of Delhi, compounding of offences and other miscellaneous matter shall mutatix mutandis apply accordingly.

Explanation.—All the provisions of the Delhi Sales Tax Act regarding proceedings under the said Act, in so far as the same are not inconsistent with the provisions of this Act shall apply *mutatis mutandis* to the proceeding under this Act

### CHAPTER VI

### MISCELLANEOUS AND RULES

- 14. Officers and servants appointed under this Act to be public servants.—All Officers and servants appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. 1860 (15 of 1860)
- 15. Bar of suits in civil courts.—No suit shall be brought in any civil court to set aside or modify any assessment made or any order passed under this Act or the rules framed thereunder and no prosecution, suit or other proceeding shall lie against the Government or any officer of the Government for anything in good faith done or intended to be done under this Act or the rules framed thereunder
- 16. Delegation of Commissioner's power.—Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers, functions and duties under this Act except that under sub-section (7) of section 12 to any officer not below the rank of an Assistant Sales Tax Officer
- 17. Power to amend Schedule.—The Government may, by notification in the official Gazette, add to, or own from or otherwise amend the Schedule and thereupon the Schedule shall be deemed to be amended accordingly.
- 18. Power to make rules,—(1) The Government may, by notification in the official Gazette and subject to the condition of previous publication, frame rules for carrying out the purposes of this Act:

PART IVI

framed ition of ss, and ich day

74), all

sunder. re shall

AC1 .owered a. shall s Act as e Delhi Act and ating to , 10 pay appeals. rnished section. iding of

in so far ider this

Provided that if the Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may dispense with previous publication of any rules to be framed under this section,

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—
- (a) all matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed:
- (b) procedure for registration of stockists;
- (c) compelling the submission of returns, production of documents, enforcing the attendance of persons and examining them on oath:
- (d) generally, regulating the procedure to be followed, and the norms to be adopted in proceedings under this Act:
- (e) any other matter including levy of fees for which there is no provision or no sufficient provision in this Act and for which provision is, in the opinion of the Government, necessary for giving effect to the purposes of this Act.
- (3) In framing any rules, the Government may direct that for a breach thereof, the Commissioner may, in the prescribed manner, impose a penalty not exceeding twenty five thousand rupees and when the breach is continuing one, a penalty not exceeding five hundred rupees may be imposed for every day of default during the continuance of such breach.
- (4) Every rule framed under this Act shall be laid, as soon as may be after it is framed, before the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or the Legislative Assembly agrees that such rule should not be framed, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect; as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that rule
- 19. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

### Schedule

(1) ISee clauses (f) and (i) of sub-section (1) of Section 2 and Section 171

pointed le. 1860	Sr No.	Name of the commodity
	1	Cigarettes.
essment ing shall ne under	2	Pan masafa, perfumed or treated otherwise, of any form or description.
	7	Smoking mixtures for pipes and cigarettes.
	4	Tobacco and tobacco products (excluding bidi) not specifically mentioned in this Schedule. All tobacco items used in rural-traditional smoking equipments shall be exempted from tax.
escribed.	ń	Textiles and fabrics (excluding khadi) exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section 5
	<b>(</b> 1	Automobiles and all vehicles above capacity of 1300 CC.
r at winit A	7	Watches exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section 5
ect to the	8	Home Theaters
	1)	All luxury Televisions

14	DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY
1()	Fountain Pens exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section
1 1	Furniture exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section 5
12	Readymade Garments exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section
13	Crystal items exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section 5
1.4	Perfumes exceeding the price range up to which the exemption is granted under Section 5.
1.5	Air Conditioners.
16	Indian made foreign liquor
17	Cosmetics, toilet goods including hair dyes, oil, soaps, shampoos exceeding the price range up to whi exemption is granted under Section 5.
18	Music systems exceeding the price range up to which exemption is granted under Section 5
10	Bath room fittings and ceramic tiles exceeding the price range up to which exemption has been grant under Section 5.
20	Automobile accessories exceeding the price range up to which exemption has been granted unc Section 5.
21	Refrigerators, automatic washing machines exceeding the price range up to which exemption has be

Ivory articles exceeding the price range up to which exemption has been granted under Section 5 All arms ammunitions and accessories excluding for defence, para-military and police purposes. 71

All items imported under the WTO list excluding medicines.

संख्या : फा. 14( 24 )/विधायी कार्य-2001/559.—उपराज्यपाल, दिल्लो की दिनांक 20 जुलाई. 2001 की मिली अनुमित परचात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा द्वारा पारित निम्न अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है : —

दिल्ली जमाकर्ता (वित्तीय स्थापनाओं में) हित संरक्षण अधिनियम, 2001 (दिल्ली अधिनियम संख्या : 10, 2001) (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2001 को यथा पारित) गण्ट्रोय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में (वित्तीय स्थापनाओं में) जमाकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए,

### अधिनियम

इसे भारत के गणतंत्र के 52वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधानमभा द्वारा निम्न प्रकार से अधिनियमित किया लाग 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इस अधिनियम को दिल्ली जमाकत्ती (वित्तीय स्थापनाओं में ) हित संरक्षण अधिनियम, २०००

HILL

(2) यह तत्काल लाग् होगा।

granted under Section 5.

- 2. परिभाषाएं. -- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तव तक इस अधिनियम में
- (क) " सहायक समाहर्त्ता" से तात्पर्य दिल्ली भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 ( 1954 का 12 ) में तथा नियुक्त किया आंधकार
- (ख) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त प्राधिकारों से हैं;
- (ग) 'दिल्ली' से ताल्पर्य राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली से हैं;
- (भ) 'जमा' में स्याज, बोनस, लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में किसी अधिलाभ सहित या उसके बिना नकट रूप में या वस्य में या विनिर्दिष्ट सेया के रूप में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा लौटायी जाने वाली किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धन की प्राप्ति या म्ल्यवान वस्तु को स्वीकृति शामिल होगी और हमेशा शामिल मानी जाएगी लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं होंगी :--
- (1) शेयर पूंजी के रूप में या ऋण-पत्र या बन्ध-पत्र के कार्य में या दिये गये मार्ग निर्देश के अनुसार किसी अन्य दस्तायंजा के अ आने तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) के अधीन स्थापित एस.ई.बी.आई. ( सेंबी ) द्वारा दिए न निर्देशों और बनाए गए विनियमों के अधीन शामिल ऋण-पत्र, बन्ध-पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के रूप में जुटाई गई पृंजी।